

त्रियुगा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

प्रस्तावना :

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम त्रियुगा नगरपालिकाको नगर सभामा पेश गर्ने गरी यो ऐन बनाएको छ ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यो ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०७५ रहेको छ ।

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भएपछि त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

२. सम्पति कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकीकृत सम्पत्तिकर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

३.भूमि कर (मालपोत) :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाईने र असुल गरिनेछ ।

४.घर बहाल कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर बहाल कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

५. ब्यवसाय कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र ब्यापार, ब्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम ब्यवसाय कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

६.जडीबुटी, कवाडी, जीबजन्तु कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरेको जीबजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीबजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको ब्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची (५) बमोजिम कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

१

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

७.सवारी साधन कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाईने र असुल गरिने छ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

८. विज्ञापन कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९.मनोरन्जन कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (८) बमोजिम मनोरन्जन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०.बहाल बिटौरी शुल्क :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।

११. पार्किङ शुल्क :

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएर बापत अनुसूची (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।

१२. सेवा शुल्क दस्तुर :

यस नगरपालिकाले निर्माण, संचालन व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (११) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ ।

१३. पर्यटन शुल्क :

यस नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची १२ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

२

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

१४. दण्ड जरिवाना र नियमित दस्तुर :

यस नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको स्वीकृत विना निर्माण भएका भौतिक संरचना, घर तथा अन्य भवन, टहराहरुलाई भवन सहिंता, भवन निर्माण मापदण्ड र नपाबाट स्वीकृत मापदण्ड भित्र पर्नेको हकमा नगरपालिकाको निर्णयानुसार नक्सा स्वीकृत गरी नियमित गर्नुपर्ने भएमा अनुसूची १३ मा उल्लेखित दरमा दण्ड, जरिवाना र नियमित दस्तुर लगाइने र असुल गरिनेछ ।

१५. कर छुट :

यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन । तत्कालीन स्थानीय निकायको कानून बमोजिम निर्धारण भएका सबै प्रकारका राजस्व वक्यौता रकम, दण्ड जरिवानालाई छुट दिइने छैन । कर छुट र छलीमा संलग्न पदाधिकारीलाई यस्तो छुट र छलीको रकम सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिनेछ ।

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि :

यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसुची-१
(ऐनको दफा (२) सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने एकीकृत सम्पत्तिकरको दररेट (आ.व. २०७५/७६)

| करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य - | दर (बार्षिक)- |
|---|--------------------------------------|
| रु.१,००,००० ।- सम्म | ३५ |
| रु.१,००,००१ ।- देखी रु.२,५०,००० ।- सम्म | ६५ |
| रु.२,५०,००१ ।- देखी रु.५,००,००० ।- सम्म | १२५ |
| रु.५,००,००१ ।- देखी रु.१०,००,००० ।- सम्म | २०० |
| रु.१०,००,००१ ।- देखी रु.१५,००,००० ।- सम्म | २७५ |
| रु.१५,००,००१ ।- देखी रु.२०,००,००० ।- सम्म | ४०० |
| रु.२०,००,००१ ।- देखी रु.२५,००,००० ।- सम्म | ७०० |
| रु.२५,००,००१ ।- देखी रु.३०,००,००० ।- सम्म | १००० |
| रु.३०,००,००१ ।- देखी रु.३५,००,००० ।- सम्म | १३०० |
| रु.३५,००,००१ ।- देखी रु.४०,००,००० ।- सम्म | १९०० |
| रु.४०,००,००१ ।- देखी रु.४५,००,००० ।- सम्म | २४०० |
| रु.४५,००,००१ ।- देखी रु.५०,००,००० ।- सम्म | ३००० |
| रु.५०,००,००१ ।- देखी रु.६०,००,००० ।- सम्म | ३७०० |
| रु.६०,००,००१ ।- देखी रु.७०,००,००० ।- सम्म | ५२०० |
| रु.७०,००,००१ ।- देखी रु.८०,००,००० ।- सम्म | ६५०० |
| रु.८०,००,००१ ।- देखी रु.९०,००,००० ।- सम्म | ८००० |
| रु.९०,००,००१ ।- देखी रु.१,००,००,००० ।- सम्म | १०००० |
| रु.१,००,००,००१ ।- देखी रु.१,२०,००,००० ।- सम्म | १३००० |
| रु.१,२०,००,००१ ।- देखी रु.१,४०,००,००० ।- सम्म | १५००० |
| रु.१,४०,००,००१ ।- देखी रु.१,६०,००,००० ।- सम्म | १७००० |
| रु.१,६०,००,००१ ।- देखी रु.१,८०,००,००० ।- सम्म | १८५०० |
| रु.१,८०,००,००१ ।- देखी रु.२,००,००,००० ।- सम्म | २०००० |
| रु.२,००,००,००१ ।- देखी रु.२,२५,००,००० ।- सम्म | ३५००० |
| रु.२,२५,००,००१ ।- देखी रु.२,५०,००,००० ।- सम्म | ४०००० |
| रु.२,५०,००,००१ ।- देखी रु.२,७५,००,००० ।- सम्म | ५०००० |
| रु.२,७५,००,००१ ।- देखी रु.५,००,००,००० ।- सम्म | ६०००० |
| रु.५,००,००,००१ ।- भन्दा माथी जतिसुकै भएपनि | प्रति हजार रु.२ ।- कादरले लाग्ने छ । |

४

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन आधार तथा दर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था :

१. घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट वा उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनसिल उपयोगको अवस्था ।
२. नागरिकको जिवनस्तर, आर्थिकस्तर र खर्च गर्न सक्ने क्षमता ।
३. अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा त्हास मूल्य,

सम्पत्तिकरको दर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था :

- क) प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावण १ गते करदाताको नाममा रहेको जग्गा तथा संरचनालाई त्यस वर्ष निजको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति मानी त्यसै बमोजिम मूल्याङ्कन तथा कर निर्धारण गरिनेछ ।
- ख) प्रत्येक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको नगरक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखी मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
- ग) नगरपालिका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा प्रचलित बजार भाउ अनुसार जग्गाको मूल्य कायम गर्न निम्न विधिहरूलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
- घ. करदाताबाट सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्दा पेश गरेको आफ्नो जग्गाको चलन चल्तीको मूल्यलाई जग्गाको मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिनेछ ।
- ङ मूल्याङ्कन समितिले क्षेत्र विभाजन गरी कायम गरेको जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कनलाई जग्गाको मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिइनेछ ।

एकिकृत सम्पत्तिकर प्रयोजनको लागि संरचनाको दर रेट तपशिल अनुसार लिईने छ ।

| सि न | संरचनाको किसिम | प्रस्तावित दर रेट (प्रति वर्ग फिट) |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|
| १ | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर | ९०० |
| २ | आर.सी.सी. छानो विना पिलर | ७०० |
| ३ | माटोको जोडाईमा आर.सी.सी. | ५९० |
| ४ | सिमेन्ट जोडाईमा टिनको छाना | ६७५ |
| ५ | माटोको जोडाईमा जस्ता , टायलको छाना | ५९० |
| ६ | सिमेन्ट जोडाईमा जस्ता , टायलको छाना | ६७५ |
| ७ | काठको घर | ३२० |
| ८ | कच्ची घर | २४५ |

५

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

अनुसूची-२
(ऐनको दफा (३) सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मालपोत करको दर

| मालपोत कर | | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| यस नगरपालिकाले आ.व.२०६२/०६३ देखि एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएकोले बाँकी वक्यौता मालपोत उठाउन निम्नानुसारको मालपोत कर लिने र त्यस्तो करमा आ.व.२०६२/०६३ मा कुल तिर्नुपर्ने रकमको ५% जरिवाना लाग्नेछ । त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष क्रमशः दोब्बर जरिवाना कायम गरी मालपोत असूल गरिने छ । | | | | | | |
| १) डेढ विगाहा वा सो भन्दा कम जग्गा हुने जग्गावालाको जग्गामा | | | | | | |
| जग्गाको वर्गिकरण | ईकाई प्रति कठ्ठा | अवल | दोयम | सीम | चहार | |
| धनहर भिट | प्रति कठ्ठा | ३ ०० | २ ६० | २ ४० | १ ६० | |
| २) तीन विगाहा वा सो भन्दा कम जग्गा हुने जग्गावालाको जग्गामा | | | | | | |
| जग्गाको वर्गिकरण | ईकाई प्रति कठ्ठा | अवल | दोयम | सीम | चहार | |
| धनहर भिट | प्रति कठ्ठा | ७ ०० | ४ ६० | ३ ०० | २ ०० | |
| ३) तीन विगाहा वा सो भन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाको जग्गामा | | | | | | |
| जग्गाको वर्गिकरण | ईकाई प्रति कठ्ठा | अवल | दोयम | सीम | चहार | |
| धनहर भिट | प्रति कठ्ठा | २० ०० | १६ ०० | १४ ०० | १२ ०० | |
| द्रष्टव्य : मालपोत कूल रकम वार्षिक रु १०।- भन्दा कम हुने भएमा न्यूनतम वार्षिक मालपोत रकम रु. १०।- लिने । | | | | | | |

अनुसूची-३

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने बहाल करको दर

| क्र.सं | विवरण | प्रतिसत. |
|--------|--|----------|
| | बहाल कर :- (१.१.३) | |
| १. | नगरपालिका भित्रको घर, पसल, ग्यारेज गोदाम टहरा शेड (छप्पर) कारखाना जग्गा पोखरी वा आसिक रुपमा बहालमा दिएकोमा सम्बन्धीत धनीवाट भाडा रकमको | १० |

६

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

अनुसूची-४
(दफा ५ सँग सम्बन्धित
व्यवसाय साधन कर)

क) व्यापारीक वस्तु

प्रस्तावित

| सि.नं. | बिबरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|---|----------|----------|----------|
| १ | चुरोट, रक्सी पसल | ३,००० | २,००० | १,००० |
| २ | मदिराको डिलर | ५,००० | | |
| ३ | ज्वेलर्स पसल ग २० लाख, ख ५० लाख क ५० माथी | ६,००० | ४,००० | ३,००० |
| ४ | निर्माण सामाग्री विक्रेता | ६,००० | ४,००० | २,००० |
| ५ | विधुत सामान, टेलिभिजन, क्यामरा रेडियो, मोवाईल आदी | ३,००० | २,००० | १,००० |
| ६ | पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता(पेट्रोल,डिजल) | | ६,००० | |
| ७ | मट्टितेल विक्रेता | | | १,५०० |
| ८ | विविध सामग्रीहरु सप्लाईगर्ने | ६,००० | ४,००० | २,००० |

ख) दैनिक उपभोग खाद्य पदार्थ, सूति कपडा आदिको खुद्रा व्यापार ।

| सि.नं. | बिबरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|-------------------------|----------|----------|----------|
| १ | किराना पसल | १,००० | ८०० | ५०० |
| २ | मनिहारा वा श्रृगांर पसल | १,००० | ८०० | ५०० |
| ३ | पान तथा अन्य | १,००० | ८०० | ५०० |
| ४ | गल्ला खरिद बिक्री | २,५०० | १,५०० | १,००० |
| ५ | फलफूल, तरकारी पसल | १,००० | ८०० | ५०० |
| ६ | जुत्ता चप्पल | २,००० | १,००० | ७०० |
| ७ | भाँडा बर्तन पसल | २,००० | १,००० | ५०० |
| ८ | स्टेस्नरी पुस्तक पसल | १,००० | ८०० | ५०० |

७

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| ९ | चस्मा घर तथा घडी विक्री पसल | १,००० | ८०० | ५०० |
| १० | कपडा पसल | ३,००० | २,००० | ७०० |
| ११ | तयारी कपडा तथा अन्य | २,००० | १,००० | ५०० |
| १२ | चिया, नास्ता, मिठाई पसल | १,२०० | ८०० | ५०० |
| १३ | होटल (खाना खुवाउने) | १,००० | ८०० | ५०० |
| १४ | होटल, रेष्टुरेन्ट एण्ड लज | ५,००० | ३,००० | २,००० |
| १५ | लज | २,००० | १,५०० | १,००० |
| १६ | फर्निचर पसल | ३,००० | २,००० | १,००० |
| १७ | मलखाद्य, किटनाशक औषधी विक्री | १,००० | ८०० | ५०० |
| १८ | कोल्ड डिड्रिक्स पसल | २,००० | १,५०० | १,००० |
| १९ | विविध मिक्स पसल जेनरल स्टोर (ईलेक्ट्रानिक्स तथा अन्य) | ३,००० | २,००० | १,००० |

ग) विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवाहरू ;

| क्र.सं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| १ | चिकित्सक | १,५०० | ८०० | ५०० |
| २ | कविराज | १,००० | ८०० | ५०० |
| ३ | इन्जिनियरीङ्ग सेवा | १,५०० | १,००० | ८०० |
| ४ | कानून व्यावसायी | १,००० | ८०० | ५०० |
| ५ | लेखा परिक्षक | १,५०० | १,००० | ५०० |
| ६ | दन्त चिकित्सक | १,५०० | १,००० | ५०० |
| ७ | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता | १,००० | ८०० | ५०० |
| ८ | कम्प्युटर एनलिष्ट तथा प्रोग्रामर | १,५०० | १,००० | ५०० |
| ९ | बीमा एजेन्ट | | | |

८

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|
| | | १,५०० | १,००० | ५०० |
| १० | सर्भेयर | १,००० | ५०० | ५०० |
| ११ | पशु चिकित्सक | १,००० | ५०० | ५०० |
| १२ | शेयर दलाल | ३,००० | १,५०० | १,००० |
| १३ | सामान दुवानी तथा कम्पनी | ३,००० | १,५०० | १,००० |

घ) निर्माण व्यवसाय नगरपालिकामा प्रधान कार्यालय माफकी

'क' श्रेणी रु १०,००० ।- 'ख' श्रेणी रु ५००० ।- 'ग' श्रेणी रु ३००० ।- घ' श्रेणी रु २००० ।-

ङ उत्पादनमूलक उद्योग

| सि.नं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|------------------------------|----------|----------|----------|
| १ | मदिरा उत्पादक | १०,००० | ५,००० | ६,००० |
| २ | ईटा उद्योग | १०,००० | | |
| ३ | स्टेशनरी उद्योग | ७,५०० | | |
| ४ | साबुन उद्योग | ३,००० | | |
| ५ | ग्रील उद्योग | ५,००० | ४,००० | ३,००० |
| ६ | विस्कुट उद्योग (साना घरेलु) | ३,००० | २,५०० | १,५०० |
| ७ | डेरी उद्योग | ३,००० | २,५०० | १,५०० |
| ८ | प्लास्टीक उद्योग | ३,००० | २,५०० | १,५०० |
| ९ | जूता चप्पल उद्योग | ३,००० | २,५०० | २,००० |
| १० | हस्तकला उद्योग | ३,००० | २,५०० | १,५०० |
| ११ | साना हस्तकला घरेलु उद्योग | ५०० | | |
| १२ | चाउचाउ उद्योग | ३,००० | २,५०० | २,००० |
| १३ | अन्य उद्योग | ६,००० | ४,००० | २,००० |

९

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | |
|----|----------------------------|--------|
| १४ | गिटि वालुबा प्रसोधन उद्योग | १०,००० |
| १५ | क्रसर उद्योग | २०,००० |

च) उर्जा मूलक उद्योग

| क्र.सं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|---------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| १ | गोबर ग्यास कम्पनी | ५,००० | २,५०० | २,००० |
| २ | सोलार कम्पनी | ५,००० | २,५०० | २,००० |
| ३ | कोईला तथा प्रकृति तेल ग्यास उद्योग | ५,००० | २,५०० | २,००० |
| ४ | कृषि तथा पशु फर्म एकल उद्देश्य | २,००० | १,५०० | १,००० |
| ५ | कृषि तथा पशु फर्म बहु उद्देश्य | ४,००० | २,५०० | १,५०० |

छ) कृषी तथा वनजन्य उद्योग

| क्र.सं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|---------|--------------------------|----------|----------|----------|
| १ | काठ चिर्ने मिल | १५,००० | | |
| २ | फर्निचर उद्योग | ६,००० | ५,००० | ४,००० |
| ३ | जरी बुटी प्रसोधन केन्द्र | ३,००० | २,५०० | १,५०० |

ज) सेवा उद्योग

| क्र.सं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| १ | छापाखाना | ८००० | ६००० | ४००० |
| २ | शित भण्डार | ५००० | ४००० | ३००० |
| ३ | कलर ल्याब | | ५,००० | |
| ४ | फोटो स्टुडियो | १,५०० | १,००० | ५०० |
| ५ | विमान सेवा शाखा | ५,००० | ३,००० | १,००० |
| ६ | वैन्ड वाजा सेवा | १,५०० | १,००० | ५०० |

१०

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|-------|-------|
| ७ | सवारी साधन भाडामा दिने | ५,००० | ३,००० | १,००० |
| ८ | सिनेमाहल | ३,००० | | |
| ९ | अफसेट पिन्ट उद्योग | ६,००० | ३,५०० | २,५०० |
| १० | सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय(टान्सपोर्ट) | ५,००० | ३,००० | १,००० |
| ११ | विभिन्न एजेन्सीहरु(ट्राभल,बिमा आदी) | ५,००० | ३,००० | १,००० |
| १२ | वैदेशिक रोजगारको मुख्य कार्यालय | १०,००० | | |
| १३ | वैदेशिक रोजगारको शाखा कार्यालय | ५,००० | | |

क) सञ्चार सेवा

| सि.नं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| १ | कूरियर सेवा | १,००० | ७०० | ४०० |
| २ | पि, सि, ओ, सेवा | १,००० | ७०० | ४०० |
| ३ | छपाई तथा प्रकाशन | २,००० | १,००० | ५०० |
| ४ | एफ. एम. रेडियो | २,००० | १,५०० | ६०० |
| ५ | साईबर | १,००० | — | — |

ख) वित्तीय सेवा

| सि.नं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| १ | ने. स. को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैंक | २०,००० | | |
| २ | आर्थिक कारोवार गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय (मनिट्रान्सफर समेत) | ७,००० | | |
| ३ | बिमा कम्पनी | ७,००० | | |
| ४ | सहकारी संस्थाहरु (वहुदेश्य समेत) | २,००० | | |
| ५ | विदेशी मुद्रा सट्टी गर्ने बैंक | २,००० | १,५०० | १,००० |
| ६ | ग्रामिण स्वामित्व बैंक | | | |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| | | २,००० | १,५०० | १,००० |
| ७ | धितोपत्र कारोवार गर्ने बैंक | २,००० | १,५०० | १,००० |
| ८ | वित्तीय कम्पनीका शाखाहरु तथा विकाश बैंक | ६,००० | | |

ट) स्वस्थ्य सेवा

| सि.नं. | बिबरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| १ | गैर सरकारी अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर | ७,५०० | | |
| २ | नर्सिङ होम | ५,००० | | |
| ३ | पोलि क्लिनिक | ३,५०० | | |
| ४ | औषधी पसल | १,००० | | |
| ५ | क्लीनिक तथा ल्याव | १,५०० | | |
| ६ | निजि क्षेत्रको प्रविधिक शिक्षालय | १०,००० | | |

ठ) शिक्षा सेवा (निजी क्षेत्र)

| सि.नं. | बिबरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| १ | निजि क्षेत्रको क्याम्पस तथा माध्यमिक विद्यालय | २,००० | | |
| २ | निजि क्षेत्रको आधारभुत विद्यालय | १,००० | | |
| ३ | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | २,००० | | |
| ४ | टाईपिङ्ग , कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | २,००० | | |
| ५ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था | ५,००० | | |
| ६ | गैर सरकारी संस्था | १,००० | | |

**ड) मर्मत
संभार सेवा**

| सि.नं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| १ | मोटरसाईकल, टेम्पो आदी | | १,५०० | |
| २ | हेभी ईक्विपमेन्ट वस, ट्रक, कार ट्रयाक्टर आदी | | २,५०० | |
| ३ | रेडीयो ,टि,भी,कम्प्युटर तथा विद्युतिय सामान मर्मत केन्द्र | | १,००० | |
| ४ | भाँडा बर्तन सुनचादी फलामे वस्तु मर्मत | | १,००० | |
| ५ | छाला ज्याकेट मर्मत विक्री पसल | | ७०० | |
| ६ | इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत | | ७०० | |
| ७ | साईकल मर्मत | | ७०० | |

ढ) अन्य सेवा

| सि.नं. | विवरण | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| १ | मसाज केन्द्र | २,००० | १,५०० | ६०० |
| २ | कपडा समेत भएको टेलर | २,००० | १,५०० | ६०० |
| ३ | व्युटी पार्लर, सैलुन | १,००० | ६०० | ५०० |
| ४ | डाई क्लिनिस | | १,००० | |
| ५ | जुत्ता सिलाई विक्री | | ५०० | |
| ६ | हाउजिग कम्पनी तथा घर जग्गा खरीद विक्री (रियल स्टेट) | | १०,००० | |
| ७ | वैदेशिक रोजगार सेवा | | १०,००० | |
| ८ | स्वदेशी रोजगार सेवा | | ३,००० | |
| ९ | सेक्रेटरी सेवा | १,५०० | १,२०० | १,००० |
| १० | साइनबोर्ड बनाउने पेन्टिङ सेवा | १,००० | ६०० | ५०० |

१३

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|----|--|-------|--------|-------|
| ११ | पशु वधशाला | २,००० | १,५०० | १,००० |
| १२ | मासु विक्रेता | १,००० | ६०० | ५०० |
| १३ | कवाडीखाना | १,००० | ६०० | ५०० |
| १४ | टेलरिड सेवा | | ५०० | |
| १५ | लाउड स्पीकर भाडामा लगाउने | १,००० | ६०० | ५०० |
| १६ | विज्ञापन सेवा | | ६०० | |
| १८ | स्नूकर खेल केन्द्र | | १,५०० | |
| १९ | पोल्टी फर्म | ३,००० | २,००० | १,००० |
| २० | वेल्लिङ्ग सेवा | १,५०० | १,००० | ५०० |
| २१ | आईसक्रिम | २,००० | १,००० | ५०० |
| २२ | पाउरोटी/विस्कट उद्योग | १,५०० | १,००० | ५०० |
| २३ | भिंगटी/टायल उद्योग | २,००० | १,५०० | १,००० |
| २४ | स्वीटर उद्योग | १,००० | ६०० | ५०० |
| २५ | वरफ उद्योग | ३,००० | १,५०० | ६०० |
| २६ | आईसक्रिम उद्योग | ३,००० | १,५०० | ६०० |
| २७ | कंकिट उद्योग | २,५०० | १,५०० | १,००० |
| २८ | थुम्पा उद्योग | १,००० | ६०० | ५०० |
| २९ | सीसा पसल | २,००० | १,५०० | ६०० |
| ३० | निजी स्तरमा डिम्स एन्टेना राखी वितरण गर्ने | | १०,००० | |
| ३१ | छाला विक्री | | ५०० | |
| ३२ | उपहार कार्यक्रम | २,००० | १,५०० | ६०० |

१४

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|
| ३३ | डिपार्टमेन्टल स्टोर्स | १०,००० | | |
| ३४ | रेन्टल तथा क्याटरी सेवा | २,००० | १,५०० | १,००० |
| ३५ | वेकरी क्याफे | १,५०० | १,००० | ६०० |
| ३६ | डाइभिङ्ग ईन्सिटिच्युट | ३,००० | | |
| ३७ | पार्क पिकनिक स्पोर्ट | २,००० | १,५०० | ६०० |
| ३८ | व्यायमसाला | १,००० | ६०० | ५०० |
| ३९ | सवारी साधन पार्ट पुर्जा (स्पेयर पार्टस) | ४,००० | २,५०० | १,५०० |
| ४० | मोटरसाईकल विक्री सो रुम | ५,००० | ३,००० | १,५०० |
| ४१ | बस,ट्रक,जिप कार ट्रयाक्टर डिलर | १०००० | | |
| ४२ | साईकल विक्री सो रुम | २,००० | १,५०० | १,००० |
| ४३ | राईस मिल(कुटानी पिसानी) | १,००० | ७५० | ५०० |
| ४४ | व्याग पसल | १,००० | ६०० | ५०० |
| ४५ | टेण्ट हाउस तथा पाटि प्यालेस | २,००० | | |
| ४६ | होम टि.भि. बितरक | ५,००० | | |
| ४७ | सवारी साधन संचालन गर्ने प्रा लि | ५,००० | | |
| ४८ | स्वीमिङ्ग पुल | ५,००० | | |
| द्रष्टव्य:- व्यवसायको वर्ग विभाजन निम्नानुसार कायम गरिनेछ । | १) चालु पूँजि र स्थिर पूँजि गरी जम्मा रु २ लाख सम्म भएमा ग वर्ग | | | |
| | २) चालु पूँजि र स्थिर पूँजि गरी जम्मा रु १० लाख सम्म भएमा ख वर्ग | | | |
| | ३) चालु पूँजि र स्थिर पूँजि गरी जम्मा रु १० लाख भन्दा माथि भएमा क वर्ग | | | |
| | पुनश्च: नगरपालिकाबाट तोकिएको अवधिमा नगर क्षेत्रमा व्यापार-व्यवसाय संचालन गरे वापत वार्षिक रुपमा तिर्नु पर्ने रकम नतिरेमा निम्नानुसारको थप जरिवाना लाग्नेछ । | | | |
| | क ब्यसायी प्रमाण पत्र वापत रु १०० | | | |

१५

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | |
|--|---|
| | क ब्यसायी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि वापत १०० |
| | क) म्याद समाप्त भएको मिति आश्वीन मसान्त सम्म निःशुल्क |
| | ख) त्यसपछि पौष मसान्त सम्मकोलागने दस्तुरको २५% |
| | ग) त्यसपछि आषाढ मसान्तसम्ममा रु ३५% |
| | ३) त्यसपछि पँत्येक वर्ष रु ५०% |

अनुसूची-५
(दफा ६ संग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने जडिबुटी, कवाडि, जीबजन्तु करको दर

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस र प्रचलित कानूनले निषेध गरेको जीबजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीबजन्तुको हाड, सिङ, प्वाख, छाला जस्ता बस्तुको ब्यबसायिक कारोबार गरेबापत वार्षिक रु ३००० का दरले कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

कवाडी मालको हकमा वार्षिक रु ५००० दरले कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

कवाडी सामान निकासी दर

| सि नं | विवरण | इकाई | आ.व.०७५/७६ को स्वीकृत दररेट | कैफियत |
|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| १ | खाली सिसि वियरको बोतल | प्रति गोटा | रु.१.०० | |
| २ | अन्य ५०० एम.एम.भन्दा माथिको बोतल सिसी | प्रति गोटा | ५० पै. | |
| ३ | अन्य ५०० एम.एम.भन्दा मुनिको बोतल सिसी | प्रति गोटा | २५ पै | |
| ४ | पुरानो कागज अखबार | प्रति के.जी | ५०पै. | |
| ५ | अन्य कागज | प्रति के.जी. | १ | |
| ६ | प्लाष्टिक बोरा | प्रति गोटा | २० पै. | |
| ७ | फलामको टुक्रा | प्रति के.जी. | २ | |
| ८ | जुटको खाली बोरा | १०० के.जी वाला | ५० पै. | |
| ९ | जुटको खाली बोरा | ५० के.जी वाला | २५ पै. | |
| १० | भिन्ड उनको | प्रति के.जी. | २ | |
| ११ | पुरानो पित्तल तामा | प्रति के.जी. | ४ | |
| १२ | सिलभर प्रति | के.जी | ४ | |
| १३ | सिसाको धुलो वा टुक्रा | प्रति केजी | ३ | |

१६

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|--|
| १४ | खाली टिन ठूलो १० लिटर भन्दा माथि | प्रति गोटा | २ | |
| १५ | खाली टिन ठूलो १० लिटर भन्दा मुनि | प्रति गोटा | १ | |
| १६ | पुरानो ड्रम | प्रति केजी | ५० पैसा | |
| १७ | गारमेन्ट कपडाको टुक्रा | प्रति केजी | २ | |
| १८ | जलेको पुरानो मोबिल ५ केजिको | प्रति लि. | १ | |
| १९ | कारपेटको टुक्रा | प्रति केजी | २ | |
| २० | पुरानो टायर टयूवहरु | प्रति केजी | २ | |
| २१ | पोलेथिन | प्रति केजी | १ | |
| २२ | जुट प्लाटिकको बोरा प्रयोग हुन नसक्ने | प्रति केजी | २० पैसा | |
| २३ | थोत्रा टिन | प्रति केजी | १५० पै. | |
| २४. | प्लास्टीकको बोतल, भाडाकुडां | प्रति केजी. | १५० पै. | |
| २५ | थोत्रो काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | प्रति के.जि. | २ | |
| २६ | तेलको टिन १० लि. भन्दा बढी | प्रति गोटा | रु.२.०० | |
| २७ | तेलको टिन १० लि. भन्दा कम | प्रति गोटा | रु.१.०० | |

अनुसूची-६

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने साधन कर करको दर

| | |
|---|--|
| १ | क) वस, ट्रक, लरी र अन्य हेभी गाडी रु. २५०० |
| | ख) केन स्काभेटर डोजर लोडर रु ३००० |
| | ग) भाडाको कार, जिप रु. १००० |
| | घ) भाडाको टेम्पो रु. ३०० |
| | ङ) भाडाको मिनी बस, ट्र्याक्टर रु. १,०००।- |
| | च) निजी कार, टेम्पो, मिनी वस, जीप रु.१०००।- |
| | छ) स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधन रु. २००।- |
| | ज) ई रिक्सा रु. ३०००।- |
| | झण अटो रिक्सा. ५०००।- |
| | ई रिक्सा तथ अटो रिक्सा रुटपरमिट ५०००। |

१७

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

अनुसूची-७
(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने विज्ञापन करको दर

| |
|---|
| विज्ञापन कर होडिङ्ग बोर्ड |
| गाईघाट बजार क्षेत्रमा प्रती वर्गफिट रु १०० |
| चुहाडे देउरी जलजले बोक्से क्षेत्रमा प्रती वर्गफिट रु ७५ |
| अन्य क्षेत्रमा प्रती वर्गफिट रु ५० |

अनुसूची-८

(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मनोरञ्जन करको दर

(क) सिनेमाहल, भिडियोहल, साँस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर संगित तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्क मा रु. २१- का दरले मनोरञ्जन कर लगाउने ।

(ख) जादू, सरकश, चटक, मेला आदिमा प्रतिदिन रु. १०००।०० मासिक २५,०००।०० लगाउने ।

अनुसूची-९
(दफा १० सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने बहाल विटौरी शुल्क

| | | |
|----|--|--|
| | विटौरी कर :- | |
| १. | नगरपालिकाले आफुले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेको हाट बजार सार्वजनीक स्थल, वाटो छेउ ऐलानी जग्गामा अस्थाई पसलराख्न दिए वापत वार्षिक प्रति वर्गफुट रु १०.- का दरले लिने । वार्षिक नवुझाएमा विलम्ब शुल्ल १० प्रतिशत लाग्ने छ । | |
| २ | न. पा. क्षेत्र भित्रमा ऐलानी सार्वजनीक पर्ती जग्गामा घर निर्माण गरि वसोवास गर्ने तथा वाली नाली लगाउने लाई वार्षिक प्रति कडा रु १००.- विटौरी कर असूल गर्ने । साथै सो जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण भएको भए सम्पत्तीकरको मुल्याङ्कन वमोजिम लिने । | |

१८

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

अनुसूची-१०
(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने सवारी पार्किङ्ग शुल्क

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| पार्किङ्ग शुल्क | | | | | |
| क) निजी तथा भाडाका वस, ट्रक, माईक्रोवस, ट्याक्टर, लरी र अन्य हेभी गाडी रु. ३० | | | | | |
| ख) जिप तथा सानो गाडी रु. २०।- | | | | | |
| ग) निजी तथा भाडाका टेम्पो, ई तथा अटो रिक्सा रु. २०।- | | | | | |
| घ) अन्य सवारी साधन मोटरसाईकल समेत रु. ५।- | | | | | |
| विदेशी नम्बर प्लेटको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्ने छ । | | | | | |

अनुसूची-११

(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने सेवा शुल्क दस्तुर :

१. घर नक्सा पास दस्तुर:

| सि.नं | विवरण | घरजग्गा नक्सा पास गराउनुपर्ने स्थानहरू र लाग्ने सेवा शुल्क (रु.मा) | | | |
|-------|--|--|-------------|--------------|--|
| | | भूई तल्ला | पहिलो तल्ला | दोस्रो तल्ला | तेश्रो तला भन्दा माथि को १००० व फी भन्दा बढी क्षे.फ. भवन निर्माण गर्नुपरेमा स्ट्रक्चर डिजाईनपेश गर्नु पर्नेछ । सो को सवै तलामा लाग्ने प्रति वफी रकम रु |
| १ | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर | ७ | ८ | ९ | 12 |
| २ | सिमेन्ट जोडाइमा ईटा वा ढुंगाको गारो आर.सी.सी. छाना | ५ | ५.५ | | |

१९

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | |
|---|--|------------|---------------|
| ३ | सिमेन्ट जोडाइमा ईटा वा ढुंगाको गारो जस्ता, टायल वा खरको छाना | २५०० | २००० |
| ४ | काठ वा बाँस वा सिमेन्टको खाँवा, टिन वा टायल वा खरको छाना भएको भूईँ तथा भूईँ टाँडे घर * | रु. 1500।- | रु. 1000।- |
| ६ | घेरावेरा (कम्पाउण्ड बाल) | | |
| | क) ५०० फिटसम्म | १००० | |
| | ख) १००० फिटसम्म | १५०० | |
| | ग) १००० फिट भन्दा बढी | २५०० | |
| <p>नगरपालिका स्थापना पूर्व निर्माण भएको घरहरूको नक्सापासको लागि निवेदन गरि माग गरेमा तोकिएको दररेट भन्दा ५०% कम दस्तुर लिई नक्शा प्रमाणित गरि निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिने ।</p> <p>यस नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगराएको प्रविधिक परामर्श फर्म वा सेवा पुऱ्याउने कम्पनीले घर नक्सा बनाई पेश गर्दा प्रति वर्ग फिट रु ००।२५ थप लाग्ने ।</p> <p>नगरपालिका स्थापना पछि बनेको घरहरूको नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिदा लाग्ने दस्तुरमा १००% थप गरी नक्सापास गरी दिने ।</p> <p>नक्सापास नामसारी गर्दा लग्ने दस्तुरको २५% लिई नामसारी गरिनेछ ।</p> | | | |
| घर नक्शा सम्बन्धि मापदण्ड | | | |
| १) घर नक्शा तयार गर्ने व्यक्ति वा फर्म नगरपालिका कार्यालयमा अनिवार्य रजिष्टर हुनु पर्नेछ । | | | |
| २) घर निर्माण कर्ताले नगरपालिकाको अमिन द्वारा जग्गा छुट्याई न. पा. प्राविधिकवाट निर्माण क्षेत्र लेआउट गराइ मात्र घर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने छ । | | | |
| ३) घर निर्माण कर्ताले घर नक्शापास ईजाजत ३ चरणमा लिनु पर्नेछ । | | | |
| क) घर निर्माण कर्ताले प्रथम चरणमा प्लीन्थ लेवल सम्म निर्माण ईजाजत लिनु पर्नेछ । | | | |
| ख) प्लीन्थ लेवल सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सकेपछि निर्माण कर्ताले सुपर स्ट्रकचर सम्मको निर्माणको लागि न. पा. कार्यालयमा आवेदन दिनु पर्नेछ । | | | |

२०

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| |
|---|
| ग) प्राप्त निवेदनको आधारमा नया कार्यालयको प्राविधिकले जाचपास गरी मात्र सुपरस्ट्रक्चर सम्मको निर्माण इजाजत दिईनेछ । |
| घ) सुपरस्ट्रक्चर सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरसके पछि निर्माण कर्ताले सम्पन्न प्रमाण पत्रको लागी नया कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । |
| ङ) प्राप्त निवेदनको आधारमा नया कार्यालयको प्राविधिकले जाचपास गरी मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ । |
| च) साथै निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन आउदा अनिवार्य रुपमा २ वटा विरुवा वा ५ वटा गमलामा फुल रोप्नु पर्ने र घर अगाडी नाला भएमा स्ल्याव निर्माण गरी निर्माण कर्ताले साईट सफा गरी निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । |
| ४) घर नक्शा बनाउने व्यक्ति वा फर्मले A2 वा A3 साईजमा मात्र घर नक्शा बनाउनु पर्नेछ । |
| ५) नगरपालिका कार्यालयले फिल्ड निरिक्षण वापत रु ३००/- दस्तुर लिने । |

२. विभिन्न प्रमाणित तथा सिफारिस दस्तुरहरु :

| | | | |
|----|--|----------------|------------------|
| | घर वाटो सिफारीश दस्तुर निम्नानुसार लिने । | | |
| | वडा नं. ११ को जि. वि. स. टाउन प्लानिङ्ग भित्रको सम्पूर्ण जग्गाहरुको ५ धुर सम्म सिफारीस दस्तुर रु १५००/- र थप प्रति धुर <u>रु ७५०/-</u> | | |
| | वडा नं. १० को गाईघाट-दिक्तेल सडको दायीं बायाँ करमगाछी सम्मको जग्गाको १ कठ्ठाको सिफारीस दस्तुर रु १०००/- र थप प्रति कठ्ठा रु ५००.- | | |
| १७ | वडा नम्बर १०, ११, १२, १२,३, ४, ५ र ६,७ ८,९ को बजार क्षेत्रको कालोपत्रे सडकले छोएको गाईघाट, मोतिगडा,मिलनचौक,बगहा, देउरी जलजले चुहाडे, राजाबास लगायतका क्षेत्रको १ कठ्ठा सम्म जग्गा सिफारिश गरे वापत रु.१०००/- सिफारिश दस्तुर लिने र थप दस्तुर प्रतिकठ्ठा रु.५००लिने | | |
| | उपरोक्त सडक बाहेक अन्य सडकले छोएको जग्गाहरु १ कठ्ठासम्मको न्यूनतम रु ५०० थप प्रतिकठ्ठा <u>रु. ३००</u> | | |
| | अन्य खेत वा भिट जग्गाहरु १ कठ्ठाको न्यूनतम रु. २५० थप प्रतिकठ्ठा रु. १०० | | |
| | न. पा. क्षेत्रभित्रका दमौति, सरस्वती, लालपत्ता, वुर्जाकान्ला, होक्से, कैवई, मसाने,पात्लेवास, साविक चिलाउने, खावु, साउने गाविस क्षेत्रको भित्रि जग्गाहरुको १ कठ्ठाको सिफारिस दस्तुर रु ५०.- र थप प्रति कठ्ठा रु १).- | | |
| | माथि उल्लेखित जग्गाहरुमा घर भएमा | | |
| | घरको क्षेत्रफल | नक्सापास गरेको | नक्सा पास नगरेको |
| १८ | ७०० वर्ग फिटसम्मको | रु ७५० | रु१५०० |
| | १४०० वर्ग फिट सम्मको | रु.१००० | रु. २००० |
| | सो भन्दा बढीको | रु. १५०० | रु.३००० |
| | अन्य कच्ची घर भएमा रु. १००।- र काठको घर भएमा प्रति घर रु.५००।- | | |
| | अंशवण्डा प्रयोजनको लागि जल्लेखित दस्तुरमा २५प्रतिशत कम दस्तुर लिई सिफारिश गरिदिने | | |

| १९ | सेवा शुल्क | |
|---|---|------------------------------|
| नगरपालिकाले विभिन्न व्यवसायी, संघ, संस्था वा व्यक्ति समेतलाई सेवा पुऱ्याए वापत निम्नानुसारको शीर्षकमा सेवा शुल्क लिने । | | |
| | ग) साधारण सिफारीश दस्तुर | १५० |
| | ग १) साधारण सिफारीश दस्तुर र नाता प्रमाणि (अंग्रजिमा) | २५० |
| | घ) टेलिफोन सिफारीश दस्तुर | ३०० |
| | ड) धारा सिफारीश दस्तुर | १०० |
| | च) विद्युत सिफारीश दस्तुर(नम्बरी जग्गामा) | २६० |
| | छ) विद्युत सिफारीश दस्तुर(गाउ ब्लक जग्गामा) | २६० |
| | जण चरित्र सिफारीश दस्तुर | १४० |
| | झ) वैदेशिक सिफारिश दस्तुर भारतको लागि | १०० |
| | ञ) भारत बाहेक अन्य मुलुकको लागि | ३०० |
| | ट) मोठ कायम सिफारीस कच्चि घर | १६० |
| | क. पक्कि घर | |
| | १ | ७०० बर्गफिट सम्मको |
| | | १४०० बर्गफिट सम्मको |
| | | सो भन्दा माथि बर्गफिट सम्मको |
| | ट) व्यक्तिगत घटना दर्ता | ५० |
| | ठ) नागरिकता सिफारिस दस्तुर | ५० |
| | ड) मिलापत्र गराउदा लागने दस्तुर | १०० |
| | च) रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भए | रकमको १ प्रतिशत |
| | छ. प्रतिलिपि दस्तुर | २० |
| | सर्जमिन सिफारिश | |
| | अ) जुनसुकैसाधारण सर्जमिन रु १६०।- | |
| | आ) जग्गा नामसारीको सर्जमिन गर्दा प्रति कठ्ठा रु २०।- अतिरिक्त सेवा शुल्क थप गर्ने । | |
| | इ) छुट जग्गा दर्ताको सर्जमिन गर्दा प्रति कठ्ठा रु २००० अतिरिक्त शुल्क थप गर्ने । | |
| २० | क) मूल्याङ्कन शुल्क प्रति हजार दस्तुर रु. १।- | |
| | घरभाडा वापतको आम्दानी सिफारिस गर्दा घर वहालकर नियमानुसार दाखिला गरेको प्रमाणको आधारमा मात्र गर्ने । | |
| | ख) प्रति कित्ता जग्गा चौहदी प्रमाणित रु २६० | |
| | थप प्रति कित्ता १०० | |

२२

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|
| | ग) उद्योग दर्ता सिफारिश दस्तुर रु. | | | |
| | ठुला रु१००० मझौला रु५०० अन्य रु२०० | | | |
| २१ | पेन्सन सिफारिस नेपाली रु १५० | | | |
| २२ | पेन्सन सिफारिस भारतीय रु२६० | | | |
| २३ | पेन्सन सिफारिस अन्य रु५०० | | | |
| २४ | निजि बिद्यालय संचालन सिफारिस रु २००० | | | |
| २५ | निजि विद्यदलय स्वीकृत दस्तुर २००० | | | |
| २६ | निजि विद्यदलय कक्षा थप स्वीकृत दस्तुर २००० | | | |
| २७ | निजि बिद्यालय कक्ष थप सिफारिस रु १००० | | | |
| २८ | सम्बन्ध बिच्छेद सिफारिस रु२०० | | | |
| २९ | अध्ययनको सिलसिलामा विद्यार्थिहरुलाई मूल्याङ्कन सिफारिस गर्दा रु ५० लाख सम्म रु २५०० -५० लाख देखी १ करोड सम्म ३,५०० - २ करोड सम्म ४५०० - र सो भन्दा माथि रु. ७५०० - । | | | |
| ३० | बार्षिक आय प्रमाणित गर्नु परेमा ५ लाख सम्म ५०० १० लाख सम्म रु ७५०, रु२० लाख सम्म १५०० र सो भन्दा माथि २२५० लग्नेछ । भाडामा विद्यार्थी प्रयोजनमा ५ प्रतिशत मात्र वहालकर लाग्नेछ । | | | |
| ३१ | खानेपानिको पाईप जडानको लागी कालोपत्रे सडक फुटाउनु परेमा प्रति वर्ग फिट रु१५०लिने | | | |
| ३२ | जानकारि नदिई फुटाएमा थप ५०% दस्तुर लिने | | | |
| ३३ | नगरपालिका क्षेत्रभित्र चौपाया जनावरहरु अनियन्त्रित रुपमा छाडा छाडिदिदा व्यक्तिहरुको हानी नोक्सानी हुने गरेको हुँदा प्रत्यक वडामा कान्जी हाउसको व्यवस्था गरि निम्नानुसारको सेवा शुल्क लिने । | | | |
| | चौपाया | सेवा शुल्क | थप प्रत्येक दिन | |
| | राँगा, भैसी | ५०० | २०० | |
| | गाई, गोरु | ५०० | २०० | |
| | घोडा, खच्चर | ५०० | २०० | |
| | कोरली, (वाछ्रा, वाछी) | ४०० | १५० | |
| | वाखा, खसी, भेडा, च्याङ्ग्रा | २०० | १५० | |
| | सुंगुर, वंगुर | ५०० | ३०० | |
| सात दिन सम्म पनि सम्बन्धित पशु धनी लिन नआएमा लिलाम गर्ने तर्फ कारवाही बढाउने । | | | | |
| ३४ | दैनिक रुपमा लाग्ने हाट बजार तथा घुम्ती पसलबाट निम्नानुसारको शुल्क लिने । | | | |
| | क. | घुम्ती मोवाइल पसल, खुम्चा समेतमा रु. १० | | |
| | ख. | चौपाया प्रतिगोटा रु. ५० | | |
| | ग. | हाँस, कुखुरा प्रति गोटा रु. १० | | |
| | घ. | साग, सब्जी र फलफुल पसल रु. १० | | |
| | ङ | अन्य सामग्री रु. १० | | |
| ३५ | नगरपालिका कार्यालय रहेको हल भाडा दैनिक रु १००० - लाग्नेछ । | | | |

२३

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | |
|----|--|
| ३६ | मल्टी मिडिया प्रतिदिन रु ७५०/-, ल्यापटप प्रतिदिन रु ५००/- (न.पा.हलमा मात्र प्रयोग गर्न पाईनेछ ।) |
| ३७ | थेडोलाईट र लेभलिङ्ग मेसिन प्रतिदिन १०००/- (न.पा. वाट लगिसकेपछी दाखिला गरेको दिन सम्मको भाडा लाग्ने) |
| ३८ | सडक वति सेवासुलक रु.१०० |
| ३९ | अमिन सेवा सेवाशुल्क रु १००० |
| ४० | न.पा. क्षेत्र भित्र निर्माण भएको पक्का सडक तथा सडक नालाले छोएको घर जग्गाको ए.स. कर असुल गर्दा वार्षिक रु ५० का दरले सार्वजनिक संरचना मर्मत संभार शुल्क असुल गर्ने निर्णय गरियो । |
| ४१ | नगरपालिकालाई निम्नानुसारको सेवा पुन्याए वापत निम्न बमोजिम पारिश्रमिक व्यक्ति वा संघ संस्थालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । |
| | वेवारीसे लाश लगी सुरक्षित तवरले गाडनको लागि रु १५००/- (आवश्यक सामान र चालक लाई रु ५००/- समेत) |
| | मरेको पाडा, पाडी, वाछावाछी, भेडा, वाखा, सुंगुर, वंगुर लगी सुरक्षित तवरले गाडनको लागि रु २०००/- |
| | मरेको कुकुर रु १००, विरालो र अन्य लाई रु ५०/- सुरक्षित तवरले गाडनको लागि |
| ४२ | विविध दस्तुरहरू |
| | घर नक्सा पास फारम वापत रु ५०० |
| | घर नक्साको प्रतिलिपि रु ५०० |
| | घर नक्साको सम्पन्न प्रमाण पत्र रु १०००/- |
| | घर नक्साको सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि रु ५०० |
| | घर नक्सा पास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि रु ५०० |
| | घर नक्सा पास धरौटि ५००० |
| ४३ | सिमेन्ट प्रदुषण विकास शुल्क प्रतिवोरा रु १।५० |

| सिनं | विवरण | आ.व.०७५/७६ को प्रस्तावित दररेट | कैफियत |
|------|--|--------------------------------|--------|
| | सिफारिस दस्तुर | | |
| | अन्य पालिकामा दर्ता भई यस पालिकामा कार्यरत गै.स.स.वार्षिक अनुमति र शाखा खोल्दाको शुल्क | २००० | |
| | ईटा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क | ५० | |
| | संस्था नविकरण | | |
| | ५ लाख सम्म कारोवार भएकालाई | १००० | |
| | ५ लाख देखि ५० लाख सम्म कारोवार भएकालाई | १५०० | |
| | ५० लाख भन्दा माथि १ करोड सम्म कारोवार भएकालाई | २००० | |

२४

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | एक करोड भन्दा माथि कारोवार भएकालाई | ७००० | |
| | संस्था नविकरण विलम्ब दस्तुर प्रति वर्ष | ५०० | |
| | जिल्ला बाहिर दर्ता भएको र यस जिल्लामा कामकाज गरेको अनुभवको सिफारिस दस्तुर | ५०० | |
| | सूचिकृत दस्तुर | रु.५००१० | |
| | ‘घ’ श्रेणी निर्माण सेवा इजाजत पत्र दस्तुर | | |
| | क) दर्ता दस्तुर | रु.५०००१० | |
| | ख) नविकरण दस्तुर | रु.१०००१०० | |
| | ग) नविकरण विलम्ब दस्तुर | रु.२०००१०० | |
| | घ) इजाजत पत्र प्रतिलिपी | रु.१०००१०० | |
| | ङ) इजाजत पत्र नामसारी/ठाउँसारी दस्तुर | रु.५०००१०० | |
| | जलश्रोत समिति/संस्था दर्ता | | |
| | क) खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण दर्ता | रु.१०००१०० | |
| | ख) साना जलविद्युत दर्ता | रु.१०००१०० | |
| | ग) खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत र नदि नियन्त्रण नविकरण | रु.१०००.०० | |
| | घ) खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत र नदि नियन्त्रण विलम्ब दस्तुर प्रति वर्ष | रु.५००१०० | |
| | ङ) खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत र नदि नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रतिलिपी | रु.२००१०० | |
| | च) विधान प्रतिलिपी दस्तुर | रु.१०००१०० | |

| | | | |
|---|----|--|----|
| अस्थायी हाट बजार कर शुल्क | | | |
| नगरपालिका क्षेत्रभित्र लाग्ने हाट बजारमा लगाउँदै आएको निम्न करहरूलाई परिमार्जन तथा संशोधन गरी लागू गरिने निर्णय गरियो । | | | |
| फेरानी | १० | अन्य छुटपुट सामानहरू विक्री गर्ने संग | १० |
| सब्जी पसल | १० | रिट्ठा प्रतिमन | १० |
| सावुन थोक विक्रेता | २० | सुन्तला प्रतिभारी | २० |
| चुरा पसल | २० | वेसार प्रतिमन | १० |
| औठी पसल | १० | पिडालु , अम्बा, सुठुनी करेला प्रतिभारी | १० |
| मनिहारा पसल | २० | आलु प्रति भारी | २० |
| हाँस कुखुरा प्रति गोटा | १० | कागती प्रति सय | १० |
| नून पसल | १० | चटपटे वाला संग | ३० |

२५

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| | | | |
|---|-----|--------------------------------------|------|
| कपडा फिजाई वेचने | ५० | किराना पसलवाट | ३० |
| रेडीमेट पसल | ३० | नास्पाती सयकडा | १० |
| मुरही पसल | १० | चिराईतो, माभितो, कुरीलो प्रतिकिलो | १० |
| भील्ली वेच्ने | १० | दलहन प्रतिकिलो | १ |
| हजाम संग | १० | १०० केजि पलदार काँटा | ४० |
| माछा पसले संग | ३० | माटाको भाँडा राख्ने | १० |
| माछा, मास पकाई वेच्ने | ४० | सुन्तला, नास्पाती फिजाइ वेच्नेसँग | २० |
| विडी वेच्ने संग | ४० | दही प्रति ठेकी | १० |
| खसी काटी वेच्ने संग | १०० | तेलहन प्रतिकिलो | १० |
| छाता जुता मर्मत पसल | २० | टर्च लाइट मर्मत | २० |
| राँगा काटी वेच्ने संग | १०० | सुर्ति पसलबाट | ३० |
| सुँगुर काटी वेच्ने संग | १०० | भाँडा पसलबाट | ४० |
| वरफ | १० | भाँडा मर्मत पसलबाट | ४० |
| विस्कट पाउरोटी | १५ | केरा प्रतिभारी | १०।- |
| जडीवुटी पसल | २० | घुम प्रति गोटा | १० |
| अण्डा पसलवाट | २० | सिन्कौली बोक्रा प्रतिमन | १० |
| गुड पसल वाट | २० | तेजपत्ता प्रति भारी | १० |
| चौपाया शुल्क | | | |
| क) नगरपालिका क्षेत्रभित्रको अस्थायी हाट बजारहरूबाट बिक्रीको लागि ल्याएको चौपायाहरूमा निम्नानुसारको शुल्क खरिदकर्ता र बिक्रेताबाट लिने । | | | |
| खसी प्रतिगोटा | १०० | सुँगुर, वंगुर प्रतिगोटा | १०० |
| वोका, वाखा, पाठी | ५० | भेडाभेडी | ५० |
| घोडाघोडी | १०० | गाई, (थारा गाई) | १०० |
| राँगा, थारा भैसी | १०० | गोरु | १५० |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|----|
| | लैना गाई, भैसी | १०० | पाडापाडी, वाछावाछी | ५० |
| | कुखुरा परेवा हास | २ | | |
| निकासी कर | | | | |
| १ | सिमेन्ट निकासी (जिल्ला भित्र र बाहिर) | १ | | |

(क) ढुगां, गिटी, बालुवा, खोला विक्री/स्थानीय श्रोत उपयोग कर

| सिनं | विवरण | आ.व.०७५/७६ को प्रस्तावित दररेट (प्रति घनमिटर) | कैफियत |
|------|---------------------------------|---|--------|
| १ | ढुङ्गा | रु.१००।० | |
| २ | गिट्टी कुटेको र चालेको | रु.१००।० | |
| ३ | मिक्स गिट्टी, ग्राभेल, र बालुवा | रु.१००।० | |

ख, ढुङ्गा+, गिट्टि, बालुवा नगर निकासी कर

| सिनं | विवरण | आ.व.०७५/७६ को प्रस्तावित दररेट प्रति क्यू फिट | कैफियत |
|------|------------------------------------|---|--------|
| १ | ढुङ्गा | रु.३।०० | |
| २ | मिक्स गिट्टी कुटेको गिट्टी, गिट्टी | रु.३।०० | |
| ३ | बालुवा | रु. २।५० | |

ग, ढुङ्गा गिट्टि बालुवा ग्राभेल रोडा छर्ना विदेश निकासी सिफारिस दस्तुर

(दर रु.मा)

| सि. नं | विवरण | आ.व.०७५/७६ को प्रस्तावित दररेट | कैफियत |
|--------|--|--|--|
| १ | ढुङ्गा १ टिप (३५०क्यू फिट) | रु. १००० प्रति टिप (३५० क्यू फिट सम्म मात्र) | ३५० क्यू फिट भन्दा बढी भएका मा प्रति क्यू फिट रु. २ अतिरिक्त थप लाग्ने |
| २ | मिक्स गिट्टी कुटेको गिट्टी, छर्ना, रोडा प्रति १ टिपको (३५० प्रति क्यू फिट) | रु. १००० प्रति टिप ३५० क्यू फिट सम्म | |
| ३ | बालुवा प्रति १ टिपको (३५० प्रति क्यू फिट) | रु. १००० प्रति टिप ३५० क्यू फिट सम्म | |
| ४ | नपा.ले आफैले सिफारिस गर्दा माथिकै दररेट अनुसार गर्ने | | |

घ, श्रोत उपयोग कर खनिज जन्य

२७

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

| सिनं | विवरण | आ.व.०७५/७६ को प्रस्तावित दररेट प्रति क्युफिट | कैफियत |
|------|---|--|--------|
| १ | खानीवाट उत्पादित सिमेन्ट कच्चा पदार्थ (जिल्ला बाहिर निकासी) | रु.६१०० | |

ब्यापारिक भवन नपाको पसलकवलहरुको भाडादर:

क ब्यापारिक भवनको मासिक भाडा रु. ६०००

सरसफाई सेवा शुल्क :(घरको आधारमा लाग्ने)

| | |
|---|------------------------------|
| (क) दैनिक रुपमा सरसफाई सेवा पु-याउदै आएको क्षेत्रमा मासिक | रु.८५१- सरसफाई शुल्क लिने । |
| (ख) हप्तामा दुई वा तिन पटक सरसफाई सेवा पु-याईएको क्षेत्रमा मासिकरु. | रु.६५१- सरसफाई शुल्क लिने । |
| (ग) हप्तामा एकपटक सम्म सरसफाई सेवा पु-याईएको क्षेत्रमा मासिक | रु. ३०१- सरसफाई शुल्क लिने |
| (घ) महिनामा दुई या तीन पटक सरसफाई सेवा दिने क्षेत्रमा मासिक | रु. २०१- सरसफाई शुल्क लिने । |
| (ङ) आवाशिय क्षेत्रको लागि मासिक | रु ७५१- सरसफाई शुल्क लिने । |
| (च) कृषि क्षेत्रको लागि मासिक | रु. ३०१- सरसफाई शुल्क लिने । |

व्यवसायमा लाग्ने सरसफाई शुल्क :

| | |
|--|-----------|
| (च) मुख्य सडक क्षेत्रमा सञ्चालित उधोग,रिसोर्ट, ग्यारेज, अटो वर्कशप ,नरसिडहोम,निजी अस्पतालमा मासिकरु. | २००१- |
| (छ) मुख्य सडक क्षेत्रमा सञ्चालित क बर्गका होटल,थोक पसल, डिलर, आदिमा | रु. १२०१- |
| (ज) मुख्य सडक क्षेत्रमा सञ्चालित मध्यम स्तरका पसल, व्यवसाय आदिमा | रु. ८०१- |
| (झ) मुख्य सडक क्षेत्रमा सञ्चालित निम्न स्तरका व्यापार, व्यवसाय आदिमा | रु ३०१- |
| (ञ) शाखा सडक क्षेत्रमा सञ्चालित उधोग,रिसोर्ट, ग्यारेज, अटो वर्कशप ,नरसिडहोम,निजी अस्पतालका लागी | रु. २००१- |
| (ट) शाखा सडक क्षेत्रमा संचालित क बर्गका होटल,थोक पसल, डिलर, आदिमा | रु.१२० १- |
| (ठ)शाखा सडक क्षेत्रमा संचालित मध्यम स्तरका पसल, व्यवसाय आदिमा | रु.७० १- |
| (ड) शाखा सडक क्षेत्रमा संचालित निम्न स्तरका व्यापार, व्यवसाय आदिमा | रु.३० १- |
| (ढ)आवाशिय क्षेत्रमा संचालित क बर्गका व्यापार व्यवसायमा | रु ८०१- |

पुनश्च : न.पा.वाट कुनै पनि सिफारिस लिनु पूर्व एकिकृत सम्पत्ती कर, व्यवसाय कक तथा सरसफाई शुल्प अनिवार्य रुपमा चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।

अनुसूची-१२

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने पर्यटन शुल्क दस्तुर

यस नपा क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको प्रवेशमा विदेशी पर्यटकलाई दक्षिण एशियाली मुलुकका पर्यटक वाहेक प्रतिव्यक्ति पर्यटक शुल्क अमेरिकी डलर १ वरावर हुनेछ । अन्यको लागि रु १० देखि रु ५० सम्म हुनेछ ।

२८

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख

अनुसूची-१३
(दफा १४ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने दण्ड, जरिवाना र नियमित शुल्क

| क्र.सं | विवरण | दर रु. |
|--------|--|--------|
| क. | मापदण्ड पुरा भएको स्वीकृत नक्सा विना बनेको पक्की संरचनाको हकमा नक्सा नियमित दस्तुर प्रतिवर्ग फिट | रु १० |
| ख. | मापदण्ड पुरा भएको स्वीकृत नक्सा विना बनेको कच्ची संरचनाको हकमा नक्सा नियमित दस्तुर प्रतिवर्ग फिट | रु ४ |
| ग. | स्वीकृत नक्सा विना बनेको पक्की संरचनाको हकमा जरिवाना प्रति वर्ग फिट | रु ५ |
| घ. | स्वीकृत नक्सा विना बनेको कच्ची संरचनाको हकमा जरिवाना प्रति वर्ग फिट | रु २ |
| ड. | अन्यको हकमा प्रमुखको निर्णयानुसार कम्तिमा रु ५०००।- देखि बढीमा रु १०००००।- सम्म जरिवाना दस्तुर वरावरको रकम | |

नोट :असाहय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला फरक क्षमता भएका ब्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्दा तथा दैवि प्रकोप, आर्थिक सहयोग तथा निशुल्क औषधी उपचार सहयोग सिफारिसमा कुनैपनी शुल्क नलाग्ने ।

२९

नगर सभा अधिवेशनबाट मिति २०७५।३।३२ मा स्वीकृत भए अनुशार प्रमाणित

बलदेव चौधरी
नगर प्रमुख